[Shri Satya Narayan Sinha]

friend, Shri Banerjee, and other hon. friends were insisting upon it. I would have rather most likely placed it next week but for this little upsetting. As you know, the hon. Minister of Food and Agriculture has resigned and we are going to make some arrangements. We hope to make some arrangement and would perhaps like to put it up before the House next week, if possible.

Mr. Speaker: The other things that have been said might also be considered. Some are for me and some for the hon. Minister.

Shri Satya Narayan Sinha: For Shri Kamath's information I might say that out of 14 Bills, nine have already been disposed of by this House and five Bills remain. We have given notice of some Bills but that is for the benefit of hon. Members because thereby they get time to prepare. I have already promised to the House that no Bill except emergent Bills—some exceptions are always there—will be taken up by the House unless those Bills are introduced in this House by the middle of the session. That should be quite enough. Why should they bother about other Bills that are there? If they get ready, it is for their benefit; it is more for their advantage.

Shri Hari Vishnu Kamath: Does he agree that Parliament should sit longer, for eight months in a year?

Mr. Speaker: That is not for me.

13.07 hrs.

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Mehr Chand Khanna on the 29th August, 1963, namely:—

> "That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958, be taken into consideration."

Also, further consideration of amendment moved for reference of the Bill to Select Committee. Shri Shiv Charan Gupta was in possession of the floor; he may continue his speech.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May I submit in this connection that time be extended?

Mr. Speaker: Let us proceed. We will see what happens. We have already spent one hour today.

Shri Shiv Charan Gupta (Delhi Sadar): Sir, it has been said that assurances given by Shri Gadgil have not been honoured. My hon. friend, Shri Kamath, complained that this Government is not looking after the interests of the poor although it is wedded to democracy and socialist order. If you look back upon the history of Delhi for the last 16 or 17 years, that is, after independence and the partition that followed it, it will be observed that about 50,000 to 60,000 units comprising houses, shops, plots costing about Rs. 20 crores were constructed in Delhi and allotted to displaced persons.

As far as the assurances of Shri Gadgil are concerned, it will be observed that not only the date of 15th August 1950 was honoured but this date was extended to 30th June 1952 and all those displaced persons who squatted before the 30th June 1952 were given alternative accommodation. Later on, the date in cases of unauthorised occupants of allottable property was extended to 31st December 1960. In fact, Delhi which assumed importance after independence as the capital of the free republic had to face the problem of rehabilitating lakhs of people who came to Delhi after partition either as displaced persons or later on from Punjab, UP and Rajasthan and that problem con-

tinues to grow in Delhi. In fact, all the displaced persons except a few had been rehabilitated according to the policy enunciated and announced by the Goveranment from time to time.

Later on, some time in 1958, this question about the *jhuggi-jhonpri-wallas* or the shanty dwellers came to be discussed and it was decided that these people should be provided accommodation. A scheme of about Rs. 10 crores was formulated at that time and it was decided that all those people who were squatting before June-July 1960 whose number was about 43,857 which increased from 25,000 in 1959 were to be provided with alternative accommodation. In fact, the scheme of *jhuggi-jhonpri* dwellers is since then being implemented by the Government. Later on when some time back it was complained that some people have been left out in the census, the Government came forward to scrutinise their cases and the number has now increased to 50,000.

Now, Sir, if we look to all this history, it will be seen that not only the Gadgil assurance was honoured but the Government was continuously looking after the interests of all those people who were coming to Delhi and not finding shelter here and there. In this regard I have to mention one thing and that is for the consideration of the hon. Minister who has been holding the charge of displaced persons right from the beginning, first as the adviser and later on as the Minister and that is that the progress of housing jhuggi-jhonpri dwellers is not satisfactory. During the period June, 1961 and July, 1963—the scheme was approved in 1959 and the Government came forward to sanction about Rs. 10 crores but so far only about 7182 families have been rehabilitated. If we move with this speed, it will be observed that the scheme would take a longer time and I would urge upon the Government to see that in the interest of the poor people this scheme is implemented without further delay. This matter deserves utmost consideration.

Now, as far as squatting is concerned, there are three types of squatters. I would urge upon the Minister of Works, Housing and Rehabilitation, although he is not directly concerned with so many other things but because he is piloting this things but because responsibility of the Government, whether it is under the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation or any other Ministry, to tackle this problem in toto, not in part, and come forward to satisfy that certain amendments to the provisions of the main Act do not adversely affect the poor people. As I said, there are three types of squatters. One is: pucca built houses which was referred to by my hon. friend Shri Balmiki. I think the problem is confined to only about 356 families in about 5 or 6 pockets out of 50,000 displaced persons who came to Delhi. In those cases where, according to the Master Plan, the land is earmarked for residential purposes, the steps should be taken to regularise their colonies as has been done in the case of Moti Nagar, Rohtak Road and Ahata Kidara and where the land is not earmarked for residential purposes, a scheme should be worked out to rehabilitate them permanently. It is not a question of 100 or 200 families. These families remain in suspense for months and years and remain at the mercy of the administration and it is not good. In the same category, you will be surprised to know that there are hundreds of houses in Delhi which are existing for 40 or 50 years which have no legal title to the land. They used to get the leave renewed every year, but for some time their lease has not been renewed and that matter is hanging for a long time, with the result those people are in suspense and everyday some sort of notice goes to them.

The other category is: jhuggi-jhonpri dwellers. These are kacha houses. Some of them are on DDA

[Shri Shiv Charan Gupta]

land and some of them are on LDO land and other Government land. In some cases, damages are being charged and in some cases damages are not being charged. Damages are being charged in the case of those persons who have been squatting for the last 10 or 15 years and in the case of those persons who came later and who have been squatting for 6 or 7 years, the damages are not being charged. I submit this is what is being suggested in the Bill. I will read it out:

> "10C(2) Any amount due to the Central Government from any person whether by way of arrears of rent or damages or costs shall, after the death of the person, be payable by his heirs or legal representatives, but their liability shall be limited to the extent of the assets of the deceased in their hands.
>
> 10D. If any person refuses or fails to pay the arrears of rent payable under sub-section (1) of section 7 or the damages payable under sub-section (2) of that section or costs awarded to the Central Government under sub-section (4A) of section 9 or any portion of such rent, damages or costs, within the time, if any, specified therefor in the order relating thereto, the estate officer may issue a certificate for the amount due to the Collector who shall proceed to recover the same as an arrears of land revenue."

There are thousands of cases of these hut dwellers which are being assessed for damages for pre-1950 period and post—1950 perior at different scales and arrears amount to thousands of rupees. I submit this to the consideration of the Government. They are poor persons with an income of Rs. 60 or Rs. 70 a month. How can you expect them to pay these arrears which were not collected by the Government? The responsibility is of the Government again. I want to emphasize this. Do you mean to say they should be made to pay those arrears in ten years or fifteen years or twenty years? What is going to be their plight? I stand for regular recovery of arrears of damages or rent or whatever it is. But if due to the negligence of the Government, arrears amount to thousands of rupees and the poor pepole are compelled to pay those arrears, I fail to understand how can the poor persons pay. Therefore, particularly these cases of damages which have been referred here should be considered by the Government. I am sure the House will agree that this is going to affect the shanti dwellers or jhugi-jhoopriwalas and this is going to ruin their families.

The other point which I wanted to make is about this question of assessment damages. In these cases also a change is being sought to be made in this Bill by giving more powers to the estate officers. Now, in this case and also in the case of scrutiny of the eligibility of the squatters who are entitled to alternative accommodation, I would urge upon the Government to consider whether it is not possible to evolve a separate machinery other than what is in-charge of the execution of the scheme to determine the eligibility and also to determine whether the damages are being charge correctly and according to the policy of the Government. Unless that is done, these arbitrary powers with the estate officers are going to ruin these people because it is in the knowledge of everybody in Delhi that whenever these assessments are made, these assessments are not made on correct basis. It is not the estate officer who goes into the field and makes an assessment. It is a junior man who goes there and unless he satisfied by different methods he is not going to consider their cases on merits. Therefore, this anamoly which has been created in Delhi and is also affecting proper assessment and finalisation of these cases must be given due consideration by the Government. Other-

wise, these people will be ruined again.

Thirdly, I want to point out this. Some people met me only this morning and they informed me that the land which has been developed by the Delhi Development Authority or by the Land Development Officer is also being affected by this provision although these lands have been transferred to them under certain agreements. If there is any infringement of any term of the agreement, action should be taken. I am for it. But to give summary powers and not to give them the facilities to represent their case properly and seek remedies is not proper. I think it is going to give arbitrary powers to the Government and the interests of these people are going to suffer because on minor grounds they are going to be penalised. If, what the Minister said in his opening remarks that this Bill relates to the Government land which is under occupation of squatters or unauthorised occupants, is correct and to that extent the purview of the Bill is limited, it is all right. But if it extends to these categories also, then I would urge upon he Government to consider this matter and give some thought to it and allow the Members of this House to give a thought to it and consider this matter in all its aspects and remedies for it, because if it is not done, this is going to create a very peculiar situation in Delhi and so many people will be put to a very great harassment. With these words, I conclude.

Mr. Speaker: Shri Amar Singh Saigal; Shri D. C. Sharma; Shri Panna Lal Barupal; Shri M. L. Dwivedi; Shri Ram Sewak Yadav. They have given their names. They are not present. They will forfeit their right to speak. Shrimati Savitri Nigam. I am coming to the Members who are present.

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब सब साहिबान थोड़ा थोड़ा वक्त लेंगे । मैं ने सावित्री जी को इसलिए बुलाया है कि वे जाना चाहती हैं । वह बोल लें मगर वक्त थोड़ा लें ।

श्रीमती सावित्री निगम : अनेक ही माननीय सदस्यों ने उन सब लोगों के साथ बड़ी सहानुभूति प्रकट की है जिन को, इस विधेयक के द्वारा कष्ट या कठिनाई होने की सम्भावना है । जहां तक, श्रीमान्, सहानुभूति का प्रश्न है, उसकी कमी न तो मेरे हृदय में है और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी के हृदय में उन लोगों के प्रति सहानुभिवू की कमी नहीं है । लेकिन बावजूद इस सहानुभति के हमको यह देखना है कि इस प्रकार इस विधेयक के अभाव में एक बड़े सामाजिक हित में रुकावट पड़ी और किस प्रकार बड़ी संख्या में लोगों को हानि उठानी पड़ी ।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उन लोगों को जो किसी प्रकार भी गन्दी बस्तियों के काम से सम्बन्धित रहे हैं, मालूम है कि इस काम में इस विधेयक के अभाव में कितनी कठिनाई आयी है । इतनी रुकावट और किसी चीज ने पैदा नहीं की जितनी इस विधेयक के अभाव ने की । कभी कभी समाज के हित के लिए कुछ व्यक्तियों को त्याग करना पड़ता है । यदि कुछ व्यक्तियों के कष्ट से समाज का कल्याण होता हो तो यह सोच कर हमें अपनी सहानुभूति को भी थोड़ा नियंत्रित करना पड़ेगा ।

झुग्गी झोंपड़ी स्कीम में जो देरी हो रही है हमको सोचना चाहिए कि उसका कारण क्या है, उसके दो बड़े कारण हैं । इस काम में देरी होने का एक बड़ा कारण तो यह था कि इस को कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ से कोरपोरेशन को दे दिया और वहां यह

[श्रीमती सावित्री निगम]

काम झंझट में पड़ गया। और दूसरा कारण यह है कि यह विधेयक जो कि आज सदन के सामने है उस समय नहीं था। इसके न होने का नतीजा यह हुआ कि जब भी कोई जमीन लेने की बात होती तो लोग झट कोर्ट से जा कर इंजंक्शन ले आते। स्लम क्लियरेंस के काम के लिए और झुग्गी झोंपड़ी स्कीम के लिए जब कभी कोई योजना बनायी गयी, तो उसमें जमीन मिलने में जो कठिनाई आती थी उसका कारण यह था कि यह विधेयक नहीं था। जहां भी किसी जमीन को लेने के लिए सरकार या कारपोरेशन योजना बनाता था तुरन्त लोग कोर्ट में जाकर इंजंक्शन ले आते थे और नतीजा यह होता था कि बनी बनायी स्कीम खटाई में पड़ जाती थी।

गन्दी बस्तियों के सुधार की जो योजनाएं बनायी गयी थीं उनके साथ भारत सेवक संघ क्लोजली एसोशिएटेड था। लेकिन हमने देखा कि उन इमारतों को भी जब लेने की बात हुई जोकि टूटी हुई थीं, उन इमारतों को जब स्लम आथारिटी ने लेना चाहा, तो उनके मालिक, जो कि यह नहीं चाहते थे कि गरीबों को सुख से अच्छे मकानों में रहने का अधिकार मिल जाए और उनकी प्रापर्टी जाती रहे, अदालतों में गए और इंजंक्शन ले आए। इसलिए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह प्राथना करूंगी कि इस विधेयक की विशषताओं की ओर ध्यान दें और इससे जो लाभ मिलने वाले हैं उनको नजरन्दाज न करें।

अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कुछ दिक्कतें बतलायीं। मैं उन पर प्रकाश नहीं डालना चाहती क्योंकि मेरे पास समय कम है। उन्होंने तीन कैटगरी के लोग बतलाए हैं जिनको दिक्कत होगी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जन्युइन लोगों को कष्ट न होने पाए। उन लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको नजर में रखा जाए। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगी कि इस अनआथाराइज्ड आकुपेशन के कारण दिल्ली की बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं और स्कीमें पूरी नहीं हो पा रही हैं और उनमें देरी होती जा रही है।

जो लोग पब्लिक प्रमिसेज में आ कर अनआथाराइज्ड तरीके से घर बना लेते हैं, उनको जब हटाया जाता है तो हम को बड़ा दुःख होता है। लेकिन आप बताएं कि इसका आदि और अन्त कहां है। जितने लोग बसाए जाएंगे उससे दूने लोग आते चले जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि यह जो गांवों से शहरों में आ कर जहां तहां बस जाने की स्वतंत्रता हुई है इस पर प्रतिबन्ध लगाएं। हम जानते हैं कि इस इनफ्लक्स को यह विधेयक नहीं रोक सकेगा। लेकिन इससे उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो कि बरसों से पड़े हुए हैं और जिनको सरकार की ओर से कागज दे दिए गए हैं कि तुमको जमीन मिलेगी या बने बनाए मकान मिलेंगे। उन लोगों की भलाई के लिए हमको इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

एक बात मैं इस सम्बन्ध में और कहना चाहूंगी। जिनके एरियर्स दस दस बारह बारह साल से रियलाइज नहीं हुए हैं हमें उनके प्रति थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और कोई कम्प्रोमाइज की सूरत निकालनी चाहिए। उनका एरियर काफी कम करके रियलाइज किया जाए और उसको किस्तों में रियलाइज किया जाए यह मेरा सुझाव है।

मेरा सम्बन्ध थोड़ा गन्दी बस्तियों के सुधार से रहा है। जो मकान इन लोगों को बसाने के लिए बनाए गए उन में इनको बसाने में भी काफी दिक्कत होती है। झील करंजिया पर इनके लिए काफी मकान बनाए जो कि स्लम्स में रहते थे। हमने चाहा कि वे लोग वहां पर चले जाएं। शुरू में वे लोग वहां पर नहीं गए। इसका कारण यह था

कि उनको वहां आकुपेशन नहीं था । शहर में उनको छोटे छोटे काम, जैसे बतों की मरम्मत करना या दूसरे घरेलू काम मिल जाते थे और उनको झील करोंजिया बहुत दूर पड़ता था । लेकिन जिस समय वे लोग राजी हुए कुछ लोगों को तो अफसरों ने मकान दे दिए थे और दूसरे लोगों ने नाजायज तरकीबों से उन मकानों को ले लिया था । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ खींचना चाहती हूं । मेरा सुझाव है कि इस झुग्गी झोंपड़ी स्कीम को सरकार को कारपोरेशन से अपने हाथ में लेकर पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए । और बजाय इसके कि इसको सिर्फ अपने अफसरों से ही पूरा कराया जाए, इसमें उन लोगों को भी एसोशिएट किया जाना चाहिए जिनके लिए यह स्कीम चलायी जा रही है ताकि वे भी समझें कि उनके लिए ये मकान बनाए जा रहे हैं और उनको इस स्कीम से पूरा लाभ हो सके । अगर ऐसा न किया गया तो वे लोग उन मकानों में जाने में दिक्कत करेंगे और उनको सबलैट आदि करेंगे । इसलिए आवश्यक है कि जिन लोगों के लिए यह मकान बनाए जाएं उनको भी उस काम के साथ एसोशिएट किया जाए और उनका सहयोग लिया जाए और उनसे श्रमदान भी उनके लिए लिया जाए । अगर ऐसा किया गया तो यह झुग्गी झोंपड़ी स्कीम जल्दी इम्पलीमेंट हो जाएगी और व लोग उन मकानों में जा कर रहेंगे और असमाजिक तत्व और शोषणकर्ता उनमें नहीं घुस पाएंगे जो कि अभी घुस जाते हैं ।

साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि जिन लोगों को इविक्ट किया जाता है उनका सवाल भी बड़ा पेचीदा है । मेरा सुझाव है कि उनको अचांनक ही इविक्ट न कर दिया जाए । उनको पहले नोटिस दिया जाना चाहिए और हो सके तो उनको पुनर्वासित करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए और उनको मकान दिलाने में मदद की जानी चाहिए और सामाजिक संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों के द्वारा उनको सहायता पहुंचायी जानी चाहिए । यह सही है कि इन लोगों ने गलत तरीके से सरकारी प्रेमिसेज में मकान बना लिए हैं लेकिन फिर भी ये लोग इसी देश के रहने वाले हैं, इसी भारत माता के सपूत हैं । यह कोशिश होनी चाहिए कि उनको इविक्शन में कम से कम कठिनाई हो ।

एक ओर मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करती हूं और दूसरी ओर मैं कहना चाहती हूं कि इसके इम्पलीमेंटेशन में बड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए । मैं यह भी चाहती हूं कि जहांतक झुग्गी झोंपड़ी वालों का सम्बन्ध है और जहांतक उन तीन कैटेगरीज के लोगों का सम्बन्ध है जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया, उनको कठिनाई न हो इस बारे में भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसके कुछ कारण हैं । जिनको दूसरे माननीय सदस्यों ने भी सदन के सामने रखा है । जो दिक्कतें बतायी गयी हैं उनको देखते हुए मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक को एक सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाये और वह सिलेक्ट कमटी अगले सेशन के शुरू होने के पहले ही दिन अपनी रिपोर्ट पेश कर दे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन देने का मतलब केवल इतना ही था कि मैं सरकार का ध्यान इन लोगों की कठिनाइयों की ओर दिलाऊं । हमारे पास अनेक संस्थाओं से कागजात आए हैं, चाहे वे पुरुषार्थी भाइयों की संस्थायें हों या झुग्गी झोंपड़ी वालों की संस्थायें हों, चाहे वे दिल्ली की हों या कलकत्ते या हिन्दुस्तान के किसी और हिस्से की हों । मैं समझता हूं कि मंत्री जी के पास भी उनके मैमोरेंडम आये होंगे । और उनमें उन्होंने उस आश्वासन का हवाला दिया है जो कि उन्हें गाडगिल साहब ने दिया था, उन लोगों को उन्होंने अपने आपको

[श्री स० मो० बनर्जी]

बसाया था । मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सन् १९४८ में एक नारा हमारे हरदिल अजीज प्राइम मिनिस्टर ने दिया था और पुरुषार्थियों से कहा था तुम अपनी इच्छा से और अपनी मेहनत से जहां बस सकते हो बसने की कोशिश करो, और उसी के फलस्वरूप, उसी नारे की तरजुमानी में जो पुरुषार्थी भाई पंजाब से या पूर्वी बंगाल से आए थे उन्होंने अपने आपको बसाने की कोशिश की । वे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर जो जमीन उनको मिली उस पर बस गए । उनसे कहा गया था कि जो जमीन तुम को मिल सकती हो और जो खाली हो उस पर बसने की कोशिश करो । लोग बसे ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि उन को बसाने की कोशिश नहीं की गई ? बसाया उनको जरूर गया लेकिन बसते हुए घर को उजाड़ना आखिर यह कहां का इंसाफ है ? गाडगिल ऐश्योरेंस क्या थे ? आखिर गाडगिल ऐश्योरेंस के आधार पर एक कमेटी भी बनी था । उस कमेटी में कौन लोग थे ? एक हाई पावर कमेटी थी जिसके कि चेयरमैन डिप्टी मिनिस्टर श्री ए० के० चंदा होते थे । उस कमेटी के मेम्बर्स श्रीमती सुचेता कृपलानी, स्वर्गीय पंडित ठाकुर दास भार्गव, और श्री जशपत राय कपूर थे । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की थी कि उन लोगों को किस तरीके से बसाया जाय ? मेरे पास यह मेमोरेंडम सल्फ रिहैब्लिटेटेड डी० पीज० एसोसियेशन की तरफ से आया है । कल उस में से कुछ चीजें पढ़ी भी गयी थी । उस में जो विश्वास दिलाये गये हैं उन की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

"That the amount of *ex-gratia* payment is paid without further delay; that the value of the land on no profit no loss basis is fixed satisfactorily, wherever necessary; that the procedure prescribed in the assurance should be strictly followed in regard to the constructions which have not yet been demolished; that wherever land in the locality from which constructions have been removed is still available, offer of allotment be made on no profit no loss basis to those persons who formerly had their structures there; and that in the allotment committee now functioning for this purpose, representatives of the displaced persons should also be associated".

अब यह जो विश्वास दिलाये गये थे क्या वाकई में उन पर अमल किया गया ? यह एश्योरेंस जो कि गाडगिल एश्योरेंस या चंदा एश्योरेंस के नाम से मशहूर हैं क्या वाकई उनके ऊपर अमल किया गया और उनको सही तौर पर कैरी आउट किया गया ? जाहिर है कि अगर ऐसा किया गया होता तो फिर हमारे वह पुरुषार्थी भाई जो कि पंजाब या बंगाल से लुट पिट और कट कर और परेशान होकर आये थे और जिनकी रहनुमाई करने का दावा माननीय मंत्री भी करते हैं वे दुबारा क्यों यह ममोरेंडम पेश करते ?

मैं जानता हूं कि जहां मैंने स्कुएटस का जिक्र किया, माननीय मंत्री इस सदन का ध्यान फौरन कुछ इलाकों की तरफ ले जायेंगे । वे कहेंगे कि क्या पुराने किले के लोगों को जमीन नहीं दी गई ? उन की तरफ से पुराने किले के सवाल को उठाया जायेगा कि जब सरकार उस जगह को एक पर्टीकुलर विभाग के लिये चाहती है और उसके बदले उनको दूसरी जगह जमीन औफर की जाती है तो वे उसे लेने से इंकार कर देते हैं । लेकिन इस बारे में इस हाउस की याद ताजा करने के लिये बतलाना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव व लाला अचिन्त राम, इन दोनों माननीय सदस्यों ने पुराने किले के सवाल को इस

हाउस के सामने पूरी तफसील के साथ रखा था । उन्होंने बतलाया था कि अगर पुराने किले के लोग दूसरी जगह नहीं गये तो उसका क्या कारण था । उन्होंने बतलाया था कि कि जो विश्वास उन्हें दिलाया गया था वह पूरा नहीं किया गया और उसके बमुजिब उनको आलटरनेटिव जमीन जैसी और जिस जगह मिलनी चाहिये थी वह नहीं दी गई और उनके इंकार का यह कारण था । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया है ? इस बिल में कहा यह गया है :—

"The main features of the Bill are—(a) a person who, having been evicted from a public premises, reoccupies it without authority will be committing an offence; (b) no court or other authority shall have power to grant any injunction in respect of any action taken or proposed to be taken by or under the Act".

अब इसके जरिये तो आप किसी आदमी का यह बुनियादी हक ही छीन ले रहे हैं कि वह ऐग्जीक्यूटिव ऐक्शन के खिलाफ कचहरी में जा सके और इंसाफ मांग सके । कोर्ट से इसके खिलाफ इंजक्शन न ले सके, यह कहा का प्रजातन्त्र है ? मैं दिल्ली की ही बात नहीं कह रहा हूं । मीजो पहाड़ी में क्या हुआ था ? पुरुषार्थीयों ने मीजो हिल्स में सरकार से एक पैसा भी डोल का नहीं लिया और उन्होंने उस पथरीली और बंजर जमीन को बसाया । जब वहां पर हरियाले खेत नजर आने लगे तो उनको वहां से निकालने के लिए हाथी चलाया गया । हाथी की मार्फत उनको जबरदस्ती निकाला गया । उनका सवाल इस सदन के सामने आया था । अब मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अगर उस अत्याचार के खिलाफ कोई अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है और इंजक्शन लेने जाता है तो क्या ऐसा करना नामुनासिब है ? जनता को संविधान द्वारा कुछ मूल नागरिक अधिकार प्राप्त हैं और उनको बरकरार रखवाने के लिये और जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ कचहरी में जाना चाहती है और जिसका कि अधिकार उसे संविधान ने दिया हुआ है, आज इस अमेंडिंग बिल के द्वारा उस बुनियादी हक को भी छीनने की कोशिश की जा रही है ? क्या वह हक छीनने की कोशिश नहीं की जा रही है

यह सब चाहते हैं कि स्कुएटैरिंग न हो लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज स्कुएटैरर्स बने कौन हैं ? क्या यह सही बात नहीं है कि इसी दिल्ली शहर में लगभग एक लाख के राजस्थानी और दूसरे मजदूर रहते हैं जो कि दूसरों के लिये तो मकान बनाते हैं लेकिन उनके खुद के लिये मकान नहीं हैं । क्या यह सही बात नहीं है कि राजघाट के पास कुछ साल पहले जो एक बहुत ही भयानक अग्निकांड हुआ था और जहां पर लोगों की झोपड़या वगैरह सब जल गयी थीं, उस वक्त जब वह सवाल सदन के सामने आया तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आखिर वे वहां बस क्यों गये ? जब दूसरे सवालात पूछे गये तो उन्होंने कहा कि हां उनको फिर से बसाने की कोशिश की जायगी ? झुग्गी झोपड़ी वालों को कहा जाता है कि २५,००० मकान बनेंगे । हमारी आदरणीय बहन श्रीमती सावित्री निगम ने अपने भाषण में कहा कि स्लम्स की सफाई के काम को करने में बड़ी दिक्कत होती है । स्लम्स क्लिऐरेंस कमेटी जो कि श्री अशोक सेन की अध्यक्षता में बनी थी और उसने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी, क्या सरकार ने उसको माना है ? उस ने कुछ सिफारिशें कीं । उसमें बतलाया गया था कि पांच शहरों में किस तरह से यह स्लम्स रिमूव किये जायें और सरकार उसमें क्या मदद दे । वे पांच शहर दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कानपूर, और अहमदाबाद थे । इस तरह के यह पांच शहर थे । लेकिन उस स्लम्स क्लिएरेंस की रिपोर्ट को आज तक सरकार ने मंजूर नहीं किया ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस में दो तरह की सिफारिशें हैं । एक सिफारिश लौंग टर्म के लिये है और दूसरी सिफारिश शौर्ट टर्म के लिये है । मेरी यह शिकायत है कि सरकार ने न तो लौंग टर्म और न शार्ट टर्म की ही सिफारिशों को मंजूर किया । अलबत्ता कुछ पैसा जरूर कारपोरेशंस के लिये मंजूर हुआ था चाहे कानपुर की हो, या कलकत्ते की हो, उनको यह कहा गया कि वह सबसिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत यह सस्ते मकान बनायें । जब इन रिपोर्टों को सरकार ने माना नहीं है तो क्या वह चाहती है कि लोग जबरदस्ती किसी मकान में आ जायें ? क्या सरकार चाहती है कि लोग जबरदस्ती सड़कों को रोक लें ? यह वे लोग हैं जिन के सिर पर कोई छत नहीं है । यह वह लोग हैं जिनके रिहायश के वास्ते सरकार रैन बसेरे बनाने की कोशिश कर रही है । यह वह लोग हैं जो कि फुटपाथ पर सोते हैं और रात को फटपाथ पर सोते हुए सपना देखते हैं कि सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में कम से कम उनके वास्ते मकान दे देगी । आज उनकी यह हालत है । जब सरकार उनके लिये कुछ अभी तक खास नहीं कर सकी है और वे पुरुषार्थी अगर अपने आप बस गय चाहे वह किसी इलाके में गये हों, व बेचारे ४००—५०० गज जमीन में बस चुके हैं, अब उनको कहा जाता है कि तुम यहां से निकलो और यहां से हट कर तुम २५ गज़ में चले जाओ या ८० गज़ में चले जाओ, आखिर यह कहां का न्याय है ?

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे अपने जवाब में यह न सोचें कि अगर नुक्ताचीनी की जा रही है तो वह किसी दूसरे लक्ष्य से की जा रही है । आज एक मेमोरेंडम में मैंने आपको बताया कि जिन पुरुषार्थियों ने अपने आप को बसाने की कोशिश की, उनकी तरफ से आया है ।

अशोकनगर रेफ्यूजीज असोसियेशन ने भी कहा है कि हम झंडेवालान बस्ती में बसे हुए हैं । मैं चाहूंगा कि इस सदन की एक कमेटी झंडेवालान में बसे हुए लोगों के बारे में मौके पर जा कर जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे । आज झंडेवमलान का नाम बदल कर रानी झांसी रोड कर दिया गया है । झंडेवालान में अगर आप जा कर देखें कि लोग किस तरह से वहां पड़ हुए हैं तो ताज्जुब होगा कि वाकई यह क्या दिल्ली है नरक-कुंड है या क्या है ? किस तरह से लोग वहां पर बसे हुए हैं ? मैं जानता हूं कि कोई भी विदेशी मेहमान, जब यहां पर आता है चाहे वह विलायत की महारानी हों, ख्रुश्चेव साहब हों या और कोई हों, चारों तरफ जो झुग्गी झौंपड़ी वाल हैं उन को कहा जाता है कि यहां से हटने की कोशिश करो । कहीं एसा न हो कि हमारे विदेलशी मेहमान की तुम लोगों पर नजर पड़ जाये । उन लोगों को हटा दिया जाता है ताकि हमारे विदेशी मेहमानों को खूबसूरत मकान तो नजर आयें लेकिन झुग्गी झौंपड़ी नजर न आय । यह तमाम चीज हो रही हैं । इस के बाद भी लोगों से कहा जाता है कि २५ गज जमीन में अपने आप को बसाने की कोशिश करें ।

इस सदन में बार बार सवाल आया कि सियालदाह स्टेशन में पड़े हुए लोगों को दंडकारण्य में बसाया जायगा और उन से जब वहां जाने को कहा जाता है तो वे जाने को राजी नहीं होते हैं । माननीय मंत्री इस बात को लेकर काफी नाराज भी हुए हैं कि यह तो इस तरह से पड़े रहने की उन की आदत हो चुकी है । सड़कों में लेटने की आदत हो चुकी है । बच्चों को सड़कों में खिलाने और लिटाने की आदत हो गई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस शर्मनाक तरीके से वे वहां रहते हैं, अगर आप देखें कि सियालदाह स्टेशन में कैसी बुरी हालत में वे अपने बालबच्चों को

ले कर पड़ हुए हैं तो आप को सही स्थिति का पता लग जायेगा । आजतक सरकार वहां के इर्दगिर्द कुछ व्यवस्था नहीं कर सकी है । थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि उन्हों ने वहां बस कर गलत काम किया लेकिन अगर ईमानदारी के साथ उन को किसी दूसरी जगह बसने की माकूल व्यवस्था सरकार ने कर दी होती तो फिर यह स्कुऐटर्स कौलिनीज आप को कलकत्ता, कानपुर आदि नगरों में देखने को नहीं मिलतीं । कलकत्ते में देख लीजिये चाहे कानपुर में देख लीजिये, जो मकान उन बेचारों ने अपनी मेहनत से बना लिये हैं उन को गिराया जा रहा है । मकान इस बेसिस पर डिमौलिश कर दिये जाते हैं कि वह गैर-कानूनी तौर पर बनाये गये थे । लेकिन मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि अनएथोराइज्ड अकुपेशन अथोराइज्ड अकुपेशन बन जाता है अगर कारपोरेशन में सम्बन्धित व्यक्ति का जोर पहुंच जाय । अगर उन का कारपोरेशन में काफी जोर पहुंच जाय तो वह अथोराइज्ड हो जायेगा वरना उन को वहां से हटा दिया जायेगा ।

जो मकान बनाये गयें हैं उन मकानों की लागत क्या है ? खैर लागत को छोड़िये लेकिन आप देखिये कि एक मामूली मजदूर जिसे कि एक बस्ती से हटाया गया है उस को दूसरी जगह बसाने पर सरकार कहती है कि तुम इस का १६ रुपये किराया दो । दस रुपये से किराया शुरू हुआ । दस का पन्द्रह हुआ और अब पन्द्रह का १६ हो गया । नई कालोनी बेनाझावर में बन रूम टैनामेंट का १६ रुपये किराया है । अब आप ही इंसाफ कीजिये कि ८० रुपया महीना पाने वाला आज के दिन १६ रुपया किराया कैसे देगा ?

लिहाजा मैं चाहता हूं कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी में जाय । अगर मंत्री महोदय यह समझते हैं कि इस में देरी नहीं होनी चाहिये, जल्दी होनी चाहिये, तो सिलैक्ट कमेटी, दस, पन्द्रह, बीस दिन के अन्दर बैठ कर अपनी रिपोर्ट दे सकती है, क्योंकि हम लोग २० सितम्बर तक तो यहां बैठे ही हुये हैं ।

मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि जब लैंड एक्वीजीशन बिल के बारे में इस सदन में झगड़ा हुआ और ऐसी आबो-हवा पैदा हो गई कि उस में संशोधन की जरूरत है, तो क्या माननीय मंत्री, पाटिल साहब, ने हाउस को यह नहीं कहा था कि सिलैक्ट कमेटी तो नहीं, लेकिन आई शैल कनसल्ट दि मेम्बर्ज अगर यह बिल सिलैक्ट कमेटी में नहीं जा सकता है कि मंत्री महोदय सदस्यों को कान्फिडेंस में ले कर इस बारे में फैसला करें । हां, अगर यह बिल सिलैक्ट कमेटी में जायेगा, तो लोग शहादत दे सकेंगे, अपने मैमोरेंडा सबमिट कर सकेंगे और बता सकेंगे कि उन की क्या क्या कठिनाइयां और मुसीबतें हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा सवाल है । सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा सकता है, क्या विकास के नाम पर सर्वनाश हो सकता है । मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि डेवेलपमेंट और प्लानिंग के नाम पर बसते हुए घरों को उजाड़ दिया जाये, खास तौर से उन लोगों को उजाड़ दिया जाये, जो कि एक दफा लुट पिट कर आये हैं, जो देश के बंटवारे का नतीजा देख चुके हैं । मैं आप को बताना चाहता हूं कि इसी दिल्ली शहर में तीस हजार आदमी ऐसे हैं, जो खाना-बदोशी करते हैं, जिन के लिये मकान नहीं है, किराये के मकान नहीं हैं और जिन के लिये रैन बसेरा खोल दिया गया है कि वे फुट पाथ पर लेटा करें । ऐसे वक्त में झुग्गी झौंपड़ी वालों को भी हटा देना उचित नहीं है । झुग्गी झौंपड़ी स्कीम अभी बनी नहीं है, मकान अभी बने नहीं हैं, लेकिन उन लोगों से कहा जा रहा है कि अभी आप जाइये, खुली हवा में रहिए, आप के लिए हवादार मकान बनाए जायेंगे । कहां और कब बनाए जायेंगे ? यह कहा जा रहा है कि अभी तो आप हवा

[श्री स० मो० बनर्जी]

खाइये, बाद में आप के लिए मकान बनाए जायेंगे । इस के अलावा उन मकानों का किराया इतना होगा कि उन के लिये मुश्किल हो जायेगी और वे उन को ले नहीं सकेंगे ।

इसलिए मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि ये जो मैमोरेंडा आये हैं, चाहे वे पुराने किले की तरफ से आये हों, या अंधा मुगल या अशोक नगर की तरफ से, या दूसरे सैल्फ-रिहैबिलिटेटिड डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज की तरफ से, उन को वह देखें । हम जानते हैं कि उन के पास ऐसा दिल है, जो पुरुषार्थी भाइयों के लिये और दलित लोगों के लिए रोया करता है । इसलिये मैं उन से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बारे में अच्छी तरह से सोचें और उन को इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेजने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये, क्योंकि आखिर कार सिलैक्ट कमेटी में हमारे मेम्बर्ज ही होंगे और इस में देरी भी नहीं होगी—दस पन्द्रह दिन में हम लोग रिपोर्ट दे सकते हैं ।

दूसरी जो एमेंडमेंट्स हैं, उन के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सोमवार को मैं यहां नहीं रहूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि और भी अमेंडमेंट्स हैं, श्री सहगल की अमेंडमेंट है, कामत साहब की अमेंडमेंट है, । उन्हों ने क्यों एमेंडमेंट रख हैं कि फलां को औमिट कर दिया जाये ? इसलिये कि वे सझते हैं कि अगर ओमिशन नहीं हुआ, तो इस का नाजायज फायदा उठाया जायेगा । अगर किसी आदमी का मकान गलत तरीके से गिराया जाये या उस को निकाला जाये, और उस को कचहरी में जा कर इन्जंक्शन लेने का अधिकार न हुआ, तो वही हालत होगी कि जबरा मारे, रोने न दे । ऐसी हालत नहीं होनी चाहिये ।

मैं सदन से अपील करूंगा कि वह पार्टी बेसिस पर नहीं, बल्कि एक हो कर यह सोचे कि जो लोग निकाले जायेंगे, वे एक पार्टी के मेम्बर नहीं होंगे, बल्कि वे हिन्दुस्तान के नागरिक होंगे, जो कि देश की पार्टीशन के बाद लुट-मिट कर यहां आये है, वे लोग होंगे, जो कि दूसरों के मकान बनाते हैं, जिन्हों ने अशोका होटल बनाया है, जिन्हों ने बड़ी बड़ी बिल्डिग्स बनाई हैं, लेकिन जिन के पास अपनी कोई बिल्डिग नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपील करूंगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाये ।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Before you proceed further, I would like to raise a point of order.

From the Financial Memorandum it appears that if the Bill is passed, money will be drawn from the Consolidated Fund of India, and in view of that article 117 of the Constitution debars consideration of this Bill.

Article 117(3) says:

> "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill".

I do not know if the recommendation of the President has been received. It is nowhere specified in the Bill.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): It is given in the Bulletin.

Shri Sinhasan Singh: If it is there, I have no objection.

Mr. Deputy-Speaker: The President's recommendation has been received and has been duly published. All the requirements of the Constitution have been complied with. There is no point of order.

It has been published in the Parliamentary Bulletin dated August 13th as under:

"The President, having been informed of the subject matter of the proposed Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 1963, recommends to the House under article 117(3) of the Constitution of India the consideration of the Bill".

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष पहले इस बिल का मूल विधेयक पास हुआ और पांच वर्ष के बाद ही उस में एक संशोधन लाने की आवश्यकता हो गई है । यह प्रकट करता है कि सरकार ने जो पहला कदम उठाया, वह सोच विचार कर नहीं उठाया—उस के आगामी परिणाम क्या होंगे, इस के बारे में वह ठीक ढ़ंग से नहीं होच सकी । किन्तु मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यह बिल लाया गया है, वह भी इतनी गहराई से सोच कर नहीं लाया गया है और इस का आगामी परिणाम यह होगा कि आगे चल कर शायद सरकार और संशोधन लाने का प्रयास करे ।

वास्तव में यह जो कुछ भी खराबी हो रही है, उस का मूल कारण यह है कि भारत सरकार की गृह-निर्माण नीति । और दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वह नीति इतनी असफल हो, यह इस सरकार को शोभा नहीं देता है । मैं यह नहीं मानने वाला हूं कि केवल माननीय श्री खन्ना इस के लिये जिम्मेदार हैं । यह तो ऐसी जटिल समस्या है, जिस के लिये सारी सरकार के प्रयास की आवश्यकता थी । लेकिन यह बिल उस प्रयास में केवल-मात्र मरहम-पट्टी कर सकता है और वह मरहम-पट्टी भी ऐसी कि फोड़ा अन्दर हो और बाहर से मरहम-पट्टी करने की कोशिश की जाये और वह मरहम-पट्टी भी ऐसे अनाड़ी लोगों के हाथ में दी जा रही है, दी हुई भी है, जो कि इस के जरिये से जनता में परेशानी ही पैदा करते हैं, न कि उस की भलाई करते हैं ।

माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला । यह केवल कानून की बात नहीं है । यह तो मानवता और कानून दोनों को ध्यान में रख कर कार्य करने की बात नहीं है । इस लिए यह किसी दलबन्दी की भी बात नहीं है यह कोई राजनीति की बात भी नहीं है । वास्तव में यह समस्या हल करने की बात है । मैं निवेदन करूंगा कि यह समस्या तभी वास्तव में हल हो सकती है, जब सरकार अपनी गृह-निर्माण नीति को बदले और राजधानी जैसी जगह में तो इस समस्या को तीन चार बरस में हल कर दे ।

माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि सरकार फंड्स नहीं देती है, किन्तु न देने का कारण क्या है ? कारण यह है कि ये जो हमारी योजनायें हैं, उन के भीतर ही यह त्रुटि मौजूद है । हमारी सरकार योजना बनाती है कि इतना प्रदेश सरकारों को दे दो, इतना गांव वालों को दे दो, जैसे वे आपस में समाजवाद का बंटवारा या गरीबी का बंटवारा कर रहे हों । यह कोई तरीका नहीं है । वास्तव में न तो आज यहां पूंजीवादी व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है और न ही समाजवादी व्यवस्था से, बल्कि एक गोलमाल वाली व्यवस्था जिसे कहना चाहिये, उससे काम चलाया जा रहा है । अभी तक भी मंत्री महोदय यह नहीं बता सके हैं कि उनकी समस्या कितने रूपों में है और कितनी बड़ी है । झुग्गी झोंपड़ी वालों की समस्या, जो लोग मकानों में बैठे हैं, उनकी समस्या, पुरुषार्थी भाइयों की समस्या, राजस्थान के मजदूरों की समस्या इत्यादी कितनी ही समस्यायें हैं ।

यह दैवयोग की बात है कि मुझ जसा आदमी जो बचपन से पुरानी दिल्ली में रहा है और जो दिल्ली को जानता है, वह कुछ हद तक इन समस्यायों की जानकारी रख सकता है । लेकिन इस सदन के दूसरे माननीय सदस्य जो बाहर से आते हैं, उनको इन समस्यायों का ज्ञान उस रूप में नहीं है, जिस रूप में होना चाहिये । इसका एक कारण

[श्री काशी राम गुप्त]

यह भी हो सकता है कि सरकार ने कभी विस्तार से इस प्रकार के प्रकाशन उनके सामने नहीं रखे हैं जिन से पता लगे कि वास्तविकता क्या है। कभी माननीय मंत्री जी ने यह भी कोशिश नहीं की है कि इस सदन के माननीय सदस्यो को ले जा करके कुछ इलाकों को दिखायें ताकि वे भी इन समस्याओं के बारे में अनुभव प्राप्त कर सकें और जान सकें कि वास्तव में समस्या क्या है और उसके बारे में सही सही जानकारी हासिल कर सकें और राय बना सकें। केवल इस कानून को पास करने मात्र से काम नहीं चल सकता है।

इस में लिखा है कि इंजंक्शन कोर्ट न दे सकेगी। एपीलांट कोर्ट का फैसला होने के बाद शायद यह बात होगी। एपीलांट कोर्ट अगर न दे सके तो एपीलांट कोर्ट का कोई मंशा नहीं रह जाता है। एपीलांट कोर्ट के बाद यदि वह है तो क्या है, किस कारण से है, इसको आप देखें। जो मूल प्रश्न है वह यह है कि वह आदमी क्यों इंजेक्शन चाहता है। क्या उसकी जो समस्या है वह व्यक्तिगत है या सामूहिक है, क्या एक आध व्यक्ति की समस्या है या बहुत से व्यक्तियों की समस्या है। अगर सामूहिक समस्या होगी तो इंजंकशन न मिलने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों का एक ही इलाज है और वह यह है कि पूरी योजना चार या पांच साल में बना कर और आगे जो समस्यायें खड़ी हो सकती हैं उनको देख कर मास्टर प्लान को ठीक करके, इसको हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता है। इन अनधिकृत व्यक्तियों के मामले में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हम १९६० से बैठे हैं और जब कोई इंस्पैक्टर देखने के लिए आता है तो उसकी जेब में अगर दस रुपय गेर दिय जाते हैं तो वह कह देता है कि बैठ रहो और तीन महीने के बाद जब दूसरा इंस्पैक्टर आता है और वह बीस रुपये मांगता है तो अगर बीस रुपये उसकी जेब में डाल दिये जाते हैं तब — तो वह कहता है कि बैठ रहो — और अगर नहीं डाले जाते हैं तो कह देता है कि भाग जाओ, कल ही बैठे हो, या आज आय हो। कितने ही उदाहरण मौजूद हैं जिन में यह समस्या सामने आई है। नई दिल्ली में भी यही समस्या है। एक इंस्पैक्टर आता है और कहता है कि १९६० के बैठे हुए हो और दूसरा आता है तो वह उनको निकाल देता है। हमारे यहां क्या रिकार्ड हैं, क्या प्रमाण हैं, उसके बारे में इस सदन को कोई जानकारी नहीं है। किस प्रकार के प्रमाणों को सरकार मानती है, किस को अधिकृत कहती है और किस को अनधिकृत इसका कुछ पता नहीं है। कुछ तो ऐसे लोगों की समस्या हो सकती है जिन्होंने मकान बना लिये हैं और जो मकानों में बैठ हुए हैं और कुछ ऐसे लोगों की समस्या है जो केवल जमीन घेरे बैठे हैं। उनकी दूसरे ही ढंग की समस्या है। कुछ दुकानों में बैठ हैं और उनकी तीसरे ही ढंग की समस्या है। मैं नहीं जानता कि उनको रेगुलराइज़ कर दिय गया है या नहीं। चांदनी चौक में कूचा नटवा में हमारे कुछ व्यापारी शरणार्थी भाई हैं। उन के सिरों पर हमेशा ही तलवार लटकती रहती थी। रोज़ाना उनको नोटिस आते रहते थे निकाल देने के। अब कुछ दिनों से खामोशी है। उन्होंने कहा था कि आपने इतने बड़े रेलवे स्टेशन को कम्पनी बाग का हिस्सा दे दिया है जिस की जरूरत नहीं थी। वहां पर बीस फूट चौड़ी सड़क बना कर के इधर उधर कुछ कर दिया जाता तो उनकी समस्या हल हो सकती थी। वे लोग वहां बस सकते थे। वहां पर जो सकड़ी सी गली है और बड़ी भीड़ भाड़ रहती है और लोग परेशान रहते हैं, उनकी वह समस्या भी हल हो सकती थी। न मालूम किस तरह से भारत

सरकार का प्लान चलता है, लोगों की रोज-मर्रा की तकलीफ को नहीं देखा जाता है, लोगों को भीड़-भाव से जो तकलीफ़ होती है, उसको नहीं देखा जाता है । मनमाने ढंग से सब काम होते हैं ।

मैं समझता हूं कि दिल्ली की समस्या केवल कानून बना देने से ही हल नहीं हो सकती है । अगर इंजंकशन भी हटा देंग तब भी समस्या हल नहीं होगी । इससे अनाचार फैलेगा, भष्टाचार फैलेगा । अगर इस समस्या को हल करना है तो इस का एक ही तरीका है । आप भारत सरकार पर जोर दे कर गृह निर्माण योजना विस्तृत रूप में बना कर इस सदन के सामने लायें और उसको इस सदन को मंजूरी दिलायें । यह सदन दिल्ली के लिए सीध जिम्मेदार है, यह सरकार सीध जिम्मेदार है । इसलिए दिल्ली की योजना खटाई में पड़ी रहे, ठीक नहीं है । दिल्ली में हालत यह है कि लोग बरसों से बिलबिला रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो वह बिलबिलाते रहेंग । एसी हालत में समाजवाद का नारा लगा देने मात्र से या बड़ी समस्याओं को हम हल करेंग, इसका नारा लगा देने मात्र से कुछ नहीं हो सकता है । गला फाड़ फाड़ करके आप कहते हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं, कि हम बहुत प्रगति कर चुके हैं बहुत सी बातों में । लेकिन आप देखें कि आप की नाक के नीचे इस दिल्ली शहर में ही स्लम क्लीयरेंस नहीं हो पा रहा है ।

हमारी समस्यायें जो दिल्ली की हैं, वे क्यों हल नहीं हो पा रही हैं, इस पर आप विचार करें । दिल्ली की सरकार जो है, वह चूं चूं का मुरब्बा है । उसके अन्दर सब आथोरिटीज का दखल है । हैल्थ वालों का है, वर्क्स एंड हाउसिंग का है, कारपोरेशन का है, ट्रस्ट का है, पता नहीं कितनों का है । बहुत से जोड़ आप ने बिठाये हैं । उस में पता ही नहीं चलता है कि किस की आथोरिटी है । जब तक सब कामों के लिए एक अधिकार प्राप्त डिपार्टमेंट न हो तब तक काम नहीं चल सकता है । जब तक सब काम एक के हाथ में न हों, तब तक काम नहीं चल सकता है । किसी के हाथ में कुछ, दूसरे के हाथ में कुछ दूसरा और तीसरे के हाथ में कुछ तीसरा हो, तो काम कैसे चल सकता है ।

यह जो बिल लाया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि इस की धाराओं से बहुत कुछ असहमति प्रकट नहीं की जा सकती है, बहुत ज्यादा विवाद की बात इस में नहीं है । लेकिन इसको सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये और यदि इस रास्ते में कोई अड़चन है तो विस्तार से चर्चा जो सम्बन्धित लोग हैं, उन से की जाना चाहिये ताकि वे लोग अपनी बात आपको समझा सकें । अगर एसा नहीं किया गया तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा और लोग समझेंग कि आप हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए एक काला कानून लाद दिया गया है । आप का मंशा यह नहीं है ।

मैंने जो इंजकशन वाली बात उठाई है, उस पर आप को गम्भीरता से विचार करना चाहिये । साथ स ही साथ आपको देखना चाहिये कि कहीं एसा न हो कि दो साल के बाद फिर नया संशोधन लाने की आपको जरूरत पड़े और जो सारी समस्या है, वह ज्यों की त्यों बनी रहे । इसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए जो संशोधन किय गए हैं, उनका जो मंशा है उनको पूरा करने के लिए योजना जो है, उसको ठीक तरह से लागू करना होगा और गृह-निर्माण का काम जल्दी से जल्दी कैसे राजधानी के लिय पूरा किया जाये इसको आपको देखना होगा, इसको पूरा करने का प्रयास करना होगा ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय अभी यह कंसीड की गई है कि मेरे दिल में माननीय मंत्री जी से ज्यादा पुरुषार्थियों का दर्द है । इन गरीब लोगों के लिये मेरे दिल में कई भावनायें हैं ।

[श्री यशपाल सिंह]

मैं तो थोड़ी सी सजेशन ही देना चाहता हूं। इस बिल के अन्दर जो थोड़ी सी डिक्टेटरशिप है, उस को हटा दिया जाना चाहिय। हमारा कांस्टीट्यूशन इसलिये चल रहा है कि ज्यूडिशरी इसकी गार्जियन है। ज्यूडिशरी को हमने मौका दिया है कि वह हमारे मामलात को तय करे। अब तक हम को इजाजत थी ४५ दिन की। लेकिन नये बिल के में कहा गया है :—

"for the words 'forty-five days', the words "thirty days" shall be substituted;".

मेरे जैसे आदमी जो यहां बैठते हैं, उनके लिए इससे बहुत मुश्किल पैदा हो जायगी। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कागजात मंगाये हैं और तीन महीने लिखे हुए हो गए हैं, अभी तक कागजात नहीं आए हैं। एक अच्छे से अच्छा वकील जो एक हजार रुपया रोज लेता है, उसके जरिये मैंने यह करवाया है। एक मामूली आदमी, एक शरणार्थी भाई, एक गरीब आदमी पंद्रह दिन में या एक महीने में किस तरह से कागजात को हासिल कर लेगा इस पर आप विचार करें। मेरी प्रार्थना है कि बजाय तीस दिन के वही साठ दिन रख जायें जो कि आम तौर से कायदा हमारा है।

मेरा यह भी कहना है कि कोई आर्डर, कोई रूल ऐसा नहीं होना चाहिये जिस की अपील की इजाजत न हो। अपील की इजाजत न होगी तो लालैसनैस फैल जायेगी। हमारे माननीय मंत्री जी ने रात के दो दो बजे तक जग कर शरणार्थियों के मसले को हल किया है। जिस मसले के बारे में कहा जाता था कि यह हल होना ना-मुम्किन है, उसको मुम्किन करके उन्होंने दिखाया है। उनके दिल में गरीबों के लए दर्द है। इससे मैं इंकार नहीं कर सकता हूं। दण्डकारण्य का प्राब्लैम को हल करके उन्होंने दिखाया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो डिक्टेटरशिप है, उस डिक्टेटरशिप को दूर किया जाए।

इसमें कहा गया है :—

'Any magistrate convicting a person under sub-section (1) may make an order for evicting that person summarily and he shall be liable to such eviction without prejudice to any action that may be taken against him under this Act".

फांसी के मुल्जिम को भी यह मौका दिया जाता है कि वह उसकी दाद फरियाद करे। अगर बाल बराबर भी शक हो जाता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का यह एक कस्टम है कि उस शक का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है। लेकिन यहां सारी ताकत जो है, मैजिस्ट्रेट को, एस्टेट आफिसर को सौंप दी गई है, उसके हाथ में केन्द्रित कर दी गई है। मसले के इस पहलू पर गौर किया जाना चाहिये और जो लोग इस तरह से घर से बेघर हैं, उनका इंतजाम किया जाना चाहिये।

14 hrs.

एक बात जो शुरू से मैं कहता आया हूं, उसको समझा नहीं गया है और न ही सरकार ने समझने की कोशिश की है और न ही उसके लीडर्ज ने समझने की कोशिश की है, यह है कि यह मसला इंजीनियर्ज से तय होगा, पालिटीशियंज से तय नहीं हो सकता है, जलूसों से तय नहीं हो सकता है, डमंस्ट्रेशंज से तय नहीं हो सकता है, जलसों से तय नहीं हो सकता है। यह कंस्ट्रक्टिव वर्क से ही तय होगा। जो काम करने वाले लोग होंगे वह लोग इस मसले को हल करेंगे। अगर हम यह सोचते हों कि हम खामख्वाह हुल्लड़ कर के इस मसले को हल कर लेंगे तो ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता। इस के लिये सारे देश के सहयोग

की जरूरत है। मैं ने शुरू शुरू में सब से पहले यहां आ कर कहा था कि जितने ही दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, मद्रास में, कलकत्ते में मकानात बनेंगे उतने ही गांव उजड़ते चले जायेंगे। जिन गांवों के लिये गांधी जी ने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी, जिन देहातों के लिये रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सुन्दर साहित्य का सृजन किया था वह गांव उजड़ते चले जायेंगे। पढ़े लिखे लोग, रुपये वाले लोग शहरों में बसते जायेंगे और गांव उजड़ते चले जायेंगे। गन्दगी दूर नहीं होगी। इसलिये जरूरत इस बात की है कि नये इलाके लिये जायें। अभी यहां पर लाखों एकड़ जमीन एसी पड़ी है जिसे हम ले सकते हैं। लाखों एकड़ जमीन फरीदाबाद के पास पड़ी है। अगर सरकार चाहे तो उस में सुन्दर बस्तियां बस सकती हैं, चमन खिल सकते हैं। यह जो इस बिल में गन्ध आ रही है डिक्टेटरशिप की वह हमारे माननीय मिनिस्टर साहब के शायाने शान नहीं है। उन्होंने जिस उदारता से, और दरियादिली से काम किया है यह उस के अनुकूल नहीं है। मैं जानता हूं कि फिजिशियन्स ने, बड़े-बड़े डाक्टर साहबान ने यह कहा कि मेहर चन्द खन्ना साहब, रात को १० बज के बाद मत जगो। लेकिन रात के २-२ बज तक जग कर उन्होंने इस पहाड़ जैसे मसले को हल किया। अपनी हेल्थ की कीमत के ऊपर, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर के, इस मसले को हल किया। जो कुछ रह गया है वह बहुत थोड़ा सा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं श्री महावीर स्वामी की एक उक्ति सुना दूं जो कि बिल्कुल उन के ऊपर चरितार्थ होती है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा :

"तिण्णो सि अण्णवं महम्,
कि पुणचिट्ठसि तीरमागओ।
अभितुर पारं गमित्तये समयम्,
गोयम मा पमायये॥"

तुम ने इतने बड़े समुद्र को पार कर लिया लेकिन छोटे से नाले के ऊपर आ कर अटक ये हो। इसी तरह से यह बहुत छोटा सा मसला है। इस मसले पर दरियादिली से गौर किया जाय तो यह हल हो सकता है। इस आदरणीय सदन में हमारे माननीय मंत्री जी ने श्री मेहर चन्द खन्ना ने वादा किया था कि मैं इस मसले को हल करूंगा और यह भी कहा था कि जल्दी से जल्दी हल करूंगा। उस वायदे को सुन कर मैं ने खुद किसी डिमांस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं लिया, किसी जुलूस में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मैं जानता हूं कि लाइक प्रोड्यूसेज लाइक। मैं जानता हूं कि विश्वास से विश्वास पैदा होता है, एतबार से एतबार पैदा होता है, एतमाद से एतमाद पैदा होता है। बइत्मीनानी से कोई मसला हल नहीं हो सकता। मैं मेहर चन्द खन्ना की काबिलियत को जानता हूं, उन की दरियादिली और जांफिशानी को जानता हूं। गरीब पुरुषार्थी भाइयों के लिये उन के दिल में दर्द है। जिस दरियादिली, जिस मोहब्बत और जिस फर्ज के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया है, वह बेमिसाल है और हमें उम्मीद है कि यह मसला हल होकर रहेगा। यह मसला पालिटीशियन्स के हाथ में न दिया जाय, इंजीनियर्स के हाथ में दिया जाय। कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाय, नारेबाजी और हुल्लड़बाजी न की जाय। मैं देखता हूं कि १५ गज और ५० गज की बात यहां होती है। भारत माता ने इतनी जमीन दी है कि अगर एक अरब आदमी भी आ कर बस जायें तो भी दिक्कत न होगी क्योंकि जितने ज्यादा आदमी आयें उतना ही देश तरक्की करेगा। जरूरत इस बात की है कि जो जमीन बेकार पड़ी है वह सुन्दर बस्ती में परिवर्तित की जाय जिन जमीनों को हम देखते हैं कि किसी के काम नहीं आ रही हैं, पत्थरों और कंकड़ों के ढेर वहां पड़ हुए हैं वहां पर लोगों को जमीन दो। मैं आप के द्वारा पोलिटिकल पार्टीज से भी अर्ज करता हूं कि कम से कम एक साल का मौका तो वे मिनिस्टर साहब को दें ताकि वे अपनी काबिलियत से इस मसले को हल करें। हम उस में पूर्ण सहयोग देंगे और मसला हल हो कर रहेगा।

[श्री यशपाल सिंह]

मैं इस बिल की ताईद करता हूं । अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ को बलिदान न करे तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता । मुझे खुद मुसीबत उठानी पड़ेगी । मैं झोंपड़ी वाला हूं, बहुत छोटे किसानों में से हूं, लेकिन मुझे मुसीबत उठानी पड़ेगी । आज जो भावनायें पैदा हो रही हैं उन को मिटाना होगा । एक टैक्सी वाले ने मुझ से क ा कि मुझे किराये की जरूरत नहीं है, मेरा चालान बचा दो । तो मैं ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं । मैं तो कहता हूं कि जो गलत रास्ते पर चलता है उस का चालान होना चाहिये । आज देश के अन्दर यह भावना हो रही है । मैं आज कहता हूं कि नारेबाजी से काम मत करो, हुल्लड़बाजी से काम मत करो, आज कंस्ट्रक्टिव वर्क करना होगा । जो संशोधन मैं ने पेश किये हैं और उन के अन्दर कहा है कि इस डिक्टेटरशिप को खत्म किया जाय और इस में गुंजाइश दी जाय कि मैं जुडीशियरी में जा कर अपील कर सकूं, मैं उन की ताईद करता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि पांच वर्ष के अन्दर ही इस विधेयक के संशोधन की आवश्यकता पड़ी । इस के जो कारण बतलाये गये हैं उस में बतलाया गया है कि चूंकि सन् १९५८ के विधेयक में त्रुटियां थीं इस कारण यह कानून सफल नहीं हो सका । त्रुटियों को दूर करने के लिये जो तर्क दिये गये उन में कोई खास बात तो दिखलाई नहीं पड़ती । उस में एक ही बात है कि सिविल कोर्ट को या किसी अदालत को कोई इंजंक्शन लेने का अधिकार नहीं रहेगा । अपील की जो मियाद थी वह भी २० के बजाय १५ दिन कर दी गई । ४५ दिन को घटा कर ३० दिन कर दिया गया । इस के अन्दर एक बात है कि अगर कोई आदमी एविक्ट हो गया है और व दुबारा जमीन पर कब्जा कर ले तो उस को अपराध मान कर उसे सजा दी जायेगी । चार कारण दिये गये हैं । हमारे सामने कोई आंकड़े नहीं हैं कि यह अवस्था क्यों आई और सन् १९५८ से ले कर आज कितने ऐसे व्यक्ति उन में से निकले जो कि फिर आ कर जबर्दस्ती बस गये हों और उन को आप निकाल नहीं पाये । कितने मुकदमे दाखिल हुए दीवानी अदालतों में जिन की वजह से आप के काम में रुकावट पड़ी । यह सब जानकारी मेरे पास नहीं है, आप के पास आंकड़े होंगे । उसी तरह से अपील की मियाद ज्यादा देने की वजह से क्या दिक्कतें हुईं । वह अपील भी आप के यहां करने को थी, हम ने आंकड़े कोई दीवानी या फ़ौजदारी अदालत के अन्दर अपील के नहीं चाहे । उन में क्या दिक्कतें हुईं जिस के कारण संशोधन आप को लाना पड़ा । यह कोई ऐसा कारण नहीं दिखलाई पड़ता जिस के कारण पांच वर्षों के अन्दर आप इस संशोधन विधेयक को लाने की सोचते ।

मैं मंत्री महोदय से इतना कहना चाहता हूं कि अनधिकृत आदमी जो बसते हैं वह किस तरह से बसते हैं । जो जमीन खाली पड़ी होती है सड़कों के किनारे, सरकार की जमीनों पर आदमी निडर हो कर जा कर बस जाता है । इस की तह में कोई बात तो जरूर होगी । यह ऐसी कोई बात नहीं है जिस को कानून के जरिये ठीक किया जा सके । ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम कानून के जरिये सब दिक्कतों को दूर कर दें । कानून सख्त से सख्त बनायें लेकिन अगर उस का पालन नहीं करते तो शायद व काम बनने वाला नहीं है । रेलवे के अन्दर आप देखते होंगे कि प ले चेन पुलिंग के लिये ५० रु० जुर्माना होता था । उस वक्त चेन पुलिंग की संख्या बहुत कम थी । उस की संख्या कब बढ़ी ? जब हम ने उस ५० रु० के जुर्माने को परिवर्तित कर दिया २५० रु० जुर्माने में और ३ महीने की सजा में । अब रेलों में लिखा हुआ है ३ महीने की सजा और २५० रु० जुर्माना । अगर हम लोग आंकड़े उठा कर देखें तो शायद यह पायेंगे कि चेन पुलिंग की संख्या अब कई गुनी हो गई है ।

तो शासन सूत्र में कहीं कमी है, कानूनों को लागू करने में कोई कमी है जिस के कारण बावजूद इस के कि हम कानून सख्त बनाते जा रहे हैं गाड़ी ढीली चलती जा रही है। इस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस तरमीम के हो जाने से आप उन बसे हुए लोगों को अधिक जोर से उजाड़ देंगे। मुझे कुछ डर सा लगता है, जैसा कि श्री काशी राम जी ने कहा, कि कहीं फिर ऐसी नौबत न आ जाय कि इस की पुनरावृत्ति हो और आप फिर इस कानून को अमेंड करें।

अगर कारणों के अन्दर आप जायें तो आप देखेंगे कि अभी तक कहा जाता था कि नीचे के स्तर पर कुछ गड़बड़ियां हैं जिस की वजह से ऐसा होता था लेकिन अब ऊपर के स्तर की बातें होने लगी हैं। यह बात अपनी जगह पर है। यदि आप देखेंगे कि आदमी क्यों आ कर सरकारी जमीनों पर बस जाते हैं तो पायेंगे कि कोई बाहर से आता है तो देखता है कि रहने के लिये जगह नहीं है। सड़कों में सोने के बाद कहीं जा कर बैठा तो आप के जो सरकारी मुलाजिम हैं, छोटे बड़े, उन की स्वीकृति ले कर बैठता है, उन से पूछ कर बसता है। कुछ दे दिला कर वहां बसता है। कागज में तो वह अनअथाराइज्ड है लेकिन ऐक्शन में वह आथराइज्ड है। अगर आप की जमीन में अनआथराइज्ड बैठा है तो आप की इतनी बड़ी विशाल सेना है जो कि घूमती रहती है। एक दिन बैठा, दो दिन बैठा, दस दिन बैठा, एक महीने, दो महीने बैठा। क्या आप देख नहीं पाते हैं कि वह आथराइज्ड है या अनआथराइज्ड है ? सालों से वहां बैठा हुआ है। जैसा मेरे एक पूर्व वक्ता ने बतलाया, पक्के मकान बना लिये गये हैं उन जगहों पर। पक्के मकान बनाने के लिये सीमेंट लिया, लोहा लिया, सभी कंट्रोल के आर्टिकल हैं, उस मकान बनाने के नाते लिया, फिर भी कागज में वह अनआथराइज्ड है। मैं आप के जरिये से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने गोरखपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर टाउन हाल है, पब्लिक प्लेस है, सरकारी जमीन है। वहां पर एक भाई ने दूकान बना ली। उस टाउन हाल के एक हिस्से में कचहरी क्लब है। उस के प्रेजिडेंट कलेक्टर हैं और सेक्रेटरी सिटी मैजिस्ट्रेट। उस कचहरी क्लब ने भी उस भाई को उस जमीन में से कुछ जमीन मकान बनाने के लिये दी। कचहरी क्लब वह जमीन लिए हुए है टाउन हाल से, केवल खेलने के लिए। लेकिन इकरारनामे के खिलाफ रुपया ले कर कचहरी क्लब के नाम पर उस भाई को दुकान बनाने के लिए जमीन दी। गोरखपुर कंट्रोल्ड टाउन है और उस के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी है। वहां पर म्युनिसिपैलिटी की आज्ञा के बगैर कोई मकान नहीं बन सकता। लेकिन उस जमीन पर इमारत बनना शुरू हो गया। कुछ लोग मेरे पास आए और उन्हों ने कहा कि यह तो टाउन हाल की वह जगह है जिस पर लोग घूमने जाते हैं, वहां दुकानें बनने लगीं यह ठीक नहीं है। मैं ने कलक्टर को फोन किया। कलक्टर ने कहा कि हम पता लगायेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन वह पता लगाते रहे और मकान बनता रहा। सिटी मैजिस्ट्रेट को मैं ने कहा कि क्या हो रहा है। उन्हों ने कहा कि यह बिलकुल अनआथाराइज्ड बनाया जा रहा है, गिराया जायेगा। एक तरफ तो कलक्टर और सिटी मैजिस्ट्रेट उस क्लब के प्रसीडेंट और सेक्रटरी होने के नाते उस आदमी को दुकान बनाने की इजाजत देते हैं और दूसरी तरफ, चूंकि वह कंट्रोल्ड टाउन है और वहां पर प्रैस्क्राइब्ड आथारिटी है, इसलिए कहते हैं कि यह काम अनआथोराइज्ड है।

गोरखपुर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है और उस की कमेटी का मैं सदस्य हूं। मैं ने सवाल उठाया कि शहर में यह अनआथाराइज्ड इमारत कैसे बन रही है तो कहा गया कि इस को गिराया जायेगा। मेरे इंटरेस्ट लेने

[श्री सिंहासन सिंह]

के कारण बहुत दिनों के बाद यह निर्णय किया गया कि इमारत को गिराया जाय। उस वक्त कचहरी बन्द होने को थी। उस आदमी ने प्रैस्काइब्ड आथारिटी के खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा कर दिया। मैं ने कहा कि उस ने दावा कर दिया है तो कहा गया कि उस में कुछ नहीं होगा और कचहरी खुलते ही उसे ठीक कर दिया जायेगा। आप को सुन कर हैरत होगी कि उस आदमी को सिविल कोर्ट से इंजंक्शन मिल गया और सरकार की ओर से उस की जवाबदेही तक नहीं हुई। कारण यह था कि सरकारी वकील कागज मांगता था तो नहीं मिलते थे। तो इस प्रकार गोल माल चलता है। यह गोलमाल अधिकारी चलाते हैं। उन को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जिन के हाथों में शासन सत्ता है, जब तक आप उन को ठीक नहीं करेंगे तब तक काम ठीक नहीं चलेगा। आज जो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है और जो चर्चा चल रही है, उस का कारण भी यही है कि सरकारी कर्मचारियों के गोलमाल करने के कारण जनता में असंतोष है। उन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए करप्शन नहीं रुक पा रहा है। अगर कोई अफसर पकड़ा जाता है तो पचासों सिफारिशें आप के पास आती हैं और आप का कलम चलना रुक जाता है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। इस देश में सुधार तभी होगा जब आप अधिकारियों को ठीक करेंगे।

आप अधिकारियों को अधिकार देते हैं कि एरियर्स को मालगुजारी के बकाया की तरह वसूल करें, यानी अगर बाप मर जाय तो उस के बेटे या पोते से वसूल किया जाय। लेकिन मेरा कहना है कि इस किराए का बकाया ही क्यों पड़ता है। अगर बकाया न पड़े तो यह नौबत ही क्यों आवे। होता यह है कि जब वसूल करने वाला जाता है तो उस को एक-दो रुपया दे दिया जाता है और वह वसूल नहीं करता। और इस तरह बकाया पड़ जाता है। एक आदमी को महीने में पांच रुपया देना आसान है, लेकिन जब वह १२ महीने में साठ रुपया हो जाता है तो उस को कठिनाई हो जाती है। तो मेरा अनुरोध है कि कानून के जरिए हम राहत नहीं दे सकते। राहत देने के लिए आप को अपनी मशीनरी को ठीक करना होगा। वह ढीली है, उस को ठीक कीजिए। गांधी ने रोते हुए अपनी प्रार्थना सभा के प्रवचन में कहा था कि जब तक दिल्ली में एक तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं रहेंगी और दूसरी तरफ गरीब लोगों को झोंपड़ों में भी रहने को जगह नहीं मिलेगी, तब तक देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आज १५ बरस हो गये वही स्थिति आज भी है, वह ठीक नहीं की जा सकी। आज भी आप उन लोगों को अच्छी जगह नहीं दे सके। पता नहीं वह दिन कब आयगा कि जब हम देखेंगे कि दिल्ली में कोई रास्ते में नहीं पड़ा है और कोई बेघर नहीं है। आप ने सुना होगा कि लखनऊ में, जोकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ट्रक ड्राइवर सड़क के किनारे सोते आदमियों पर ट्रक चला ले गया और १२ आदमी मारे गए। आप इस तरफ ध्यान दें तो बहुत काम हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि बिल तो आ गया है तो पास होगा ही चाहे कोई कितना भी विरोध करे। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो शब्द मैंने कहे हैं उन पर ध्यान दिया जाय। अगर आप अपनी मशीनरी को ठीक करें तो यह नौबत ही न आवे। और अगर आप के अफसर ढीले रहेंगे तो यह नौबत आती ही रहेगी और हम सदन का रुपया खराब करते रहेंगे।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a Bill on which one finds in difficult to make up one's mind. Members have been presented with what may be called a

"conflict of duties". Those who have brought the Bill have given very good reasons as to why a Bill of this kind is needed. We have been all along saying that the present situation in this city as well as in other big cities is undesirable and that the slums must be destroyed. We have also been saying that new township should be planned. These things have been demanded by the people.

The ideal which we have placed before us requires that our towns should be replanned properly and scientifically. It is said that such plans are already ready. The Master Plan for Delhi is ready. That plan has been prepared because of the constant demand not only from the Members of this House but from the people of the country as a whole. The people have been saying that there are many slum areas, all these ugly slums must go away and the towns must be properly planned so that their further growth may be convenient and of a nature which would help in their prosperity. They say the plans are ready.

The hon. Minister who has been in charge of this affairs has had a very creditable record. For the last 15 years he has been dealing with problems of this kind, and one cannot say that there has been any neglect on his part or want of sympathy on his part in dealing with these problems promptly. Yet we find that he is coming before this House with a Bill certain portions of which strike us as somewhat extraordinary, because here he is making a provision that almost all the remedies which are open to the people as citizens of this country for redress of their grievances are to be denied. Three or four remedies like a man's right to go to a court and get proper justice done etc., are to be taken away or curtailed as far as this Bill is concerned. That is considered to be one of the essential provisions contained in this Bill.

Sir, Members of this House, when they approach this Bill, find themselves divided into two groups. There is one kind of people who are full of sympathy for the suffering and the distressed irrespective of any other consideration. There is the other kind who do not think so much of the suffering etc., but who only think of the Master Plan, improvement of the city and so on. The Bill which is before us is really the Public Premises Eviction of Unauthorised Occupants (Amendment) Bill. It is true that those who are in difficulty and distress must have priority, must have prior claim for receiving attention from all reasonable persons, not only Members of Parliament but also others in the country, but, nonetheless, there is the question of equity which you have to do to all the people in the country. The law of equity lays down one broad principle and it is this. Those who want equity must do equity. That is the general rule. This Bill is for the eviction of the unauthorised occupants, who are just trespassers. Government want to arm themselves with more powers to deal with these unauthorised occupants. If we are satisfied that the occupation is unauthorised, then there should be no feeling of sympathy for them in case Government deal with them in an arbitrary manner, because they have no right to live there, no justification to live there and their request to live there is wholly unreasonable. But, then, there is one difficulty here. How can we prove that those persons who are occupying those places are really unauthorised occupants now? One thing is quite clear. If they are in fact unauthorised occupants, then, in my opinion, they have no right to request for any kind of equity at all. In such cases, Government should be enabled to take recourse to law and the provisions of the law should in that case be adequate and rigorous. There should be no question of sentiment or showing sympathy in dealing with such unauthorised occupants, because they have no right to get equity. The question of equity arises when at-

[Dr. M. S. Aney]

tempts are being made to show that those whom Government consider as unauthorised occupants cannot now properly and truly be called unauthorised occupants. This system or institution of unauthorised occupants has grown up under circumstances in which it would be difficult to call them really unauthorised occupants. That is how the case has been present- here by some friends here. In case some of these people are occupying premises unauthorised by law, we can find out who the original owner was and how those premises have come under the occupation of those unathorised occupants who are now occupying them. Some proof of that kind can be given. I hope the hon. Minister will consider this suggestion.

Another point which I want to bring to the notice of the House is this. In fact, it was referred to by many hon. Members here. Those people who were in occupation of those premises have made further additions or construction. Nobody stoped them. They were allowed to build big buildings without let or hindrance. That amounts to connivance on the part of the authorities, whose duty it was to stop them. That by itself has given those people some kind of favourable position to demand that they should not be rudely and arbitrarily dealt with.

In law there is a principle called the principle of estoppel. If you allow or permit or give opportunity to occupy Government premises to some people, if you allow them to live there for some time and even make some additions or alterations, that by itself gives them some right to occupy such premises and after a period of time, you are not allowed by the court of law to question the action of those unauthorised persons in occupying those premises. In my opinion, in a case of this kind, if in the presence of, or within the knowledge of, the lawful authority illegal occupation and other connected things were done and no protest was made and no attempt was made to stop them from doing it can the authorities now come forward and say that they are unauthorised occupants today and, therefore, they deserve no mercy or equity? I hope my hon. friend, Shri Mehr Chand Khanna, would explain the position in his reply and say how it can be done.

The suggestion which my hon. friend, Shri Banerjee, has made that the matter may be referred to a Select Committee of some Members of this House with the request that it may present its report soon is a good one. In that case, it is quite possible that the measure could not be passed in this session and will have to be postponed. Then, it can be taken up in the next session. It does not matter. What is the object of this Bill? The object is to carry out the programme of the Master Plan. That has to be done. But, at the same time, Government should not be exposed to the charge that it is rude in dealing with people and it acts in an arbitrary manner and creates difficulties, particularly when we are in a state of emergency.

Under these circumstances, a *via media* has to be found out. If some such mechanism is created where the Members of the House can meet together, consider the problem in all its various aspects and come to some understanding as regards the position of these illegal or unauthorised occupants, then the conclusions drawn or arrived at by that committee can be incorporated in the Bill and the Bill can be passed into an Act in the next session, which will mean only a delay of few months.

Goverment should not forget that a member representing this Government, Shri Gadgil was here in this House, when these questions were raised and he gave a long list of

concessions as a minister which are now being treated as assurances given by the Government. It must be found out whether the present Bill is in conformity with those assurances and whether at least an attempt has been made to try to implement some of the assurances which were given on the floor of the House years ago. These are matters for consideration. I know very well that the hon. Minister is very considerate in dealing with the problem; we know only too well the extraordinary patience that he has displayed in dealing with the question of displaced persons from Pakistan. At the same time, I am sure he will appreciate the sweet reasonableness of the demand that some opportunity should be given to the members of this House to understand the problem properly and to come to some kind of understanding and devise principles on the basis of which the Bill can be improved upon so as to make it acceptable to all and beneficial to all. With these few remarks, I support the motion given notice of by Shri Banerjee, if he has moved it.

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस में पब्लिक प्रीमिसेज (इविक्शन ग्रौफ़ ग्रनएथोराइज्ड ग्राकुपेंट्स) एक्ट, १९५८ को ग्रमैंड करने के हेतु ग्रमैंडमैंट बिल पेश है । ग्रभी उस एक्ट को पास किये थोड़े ही दिन हुए हैं लेकिन उस को ग्रमैंड करने के लिए यह संशोधन विधयक लाने की सरकार ने ज़रूरत महसूस की ।

जो एक्ट पास हुग्रा था वह ऐसे ढंग का ऐक्ट था जोकि पास नहीं होना चाहिए था लेकिन उस ऐक्ट को ग्रौर भी खराब ग्रौर सख़्त बनाने के लिए ग्राज यह संशोधन विधेयक हाउस के सम्मुख लाया गया है । मैं इस ग्रमैंडमैंट बिल का विरोध करता हूं । इस के साथ ही चाहता हूं कि वह ऐक्ट जिस को कि वह इस तरह से ग्रमैंड करना चाहते ग्रौर यह ग्रमैंडिंग बिल, इन सारी बातों पर विचार करने के लिए वापिस कर लें । मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो ग्रभी संविधान चल रहा है ग्रौर उस संविधान की जो मंशा है उस के खिलाफ वह मूल ऐक्ट पास किया गया है ग्रौर यह ग्रमैंडिंग बिल भी उस के खिलाफ लाया गया है ।

इस देश में बसने वाले हर एक ग्रादमी के लिए उस के ग्रावास की व्यवस्था होना ग्रावश्यक है । ग्रादमी की लाइफ़ की जो नैसेसिटीज़ हैं उन नैसेसिटीज़ में एक नैसेसिटी शैल्टर की भी है । उस के रहने के लिए जगह चाहिए, यह जीवन की एक बुनियादी ग्रावश्यकता है ग्रौर यह एक नैचुरल नैसेसिटी है जिस का कि समुचित प्रबन्ध एक जनतंत्रीय व्यवस्था में होना ही चाहिए । उस जनतंत्र में जिस का कि संविधान के मुताबिक़ सारा कामकाज चल रहा है, लोगों के रहने की समुचित व्यवस्था नितात ग्रावश्यक है ।

संविधान की यह मंशा हमेशा रही है कि इस देश का रहने वाला व्यक्ति जहां भी चाहे वह जा सकता है । जहां भी चाहे वहां जा कर वह ग्रपना कारोबार कर सकता है । ग्रब ग्रगर कोई ग़रीब ग्रादमी कहीं बाहर से ग्रा कर दिल्ली में रह जाता हैं ग्रौर वह बेचारा ग़रीब ग्रादमी यह समझता है कि यहां दिल्ली में रह कर कुछ काम धंधा कर सकता है ग्रौर ग्रपनी जीविकोपार्जन कर सकता है . .

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member will continue his speech when official business is taken up the next day. Now we will take up non-official business.

14.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-FORTH REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): Sir, I beg